बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र०2/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–I) पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई सब्सिडी की राशि के लिए कुल 4137.00 करोड़ (चार हजार एक सौ सैंतीस करोड़) रूपये सब्सिडी स्वीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 के अप्रैल 2018 से नवम्बर 2018 की अवधि के लिये 344.75 करोड़ (तीन सौ चौवालीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये प्रतिमाह की दर से तत्काल 2758.00 करोड़ (दो हजार सात सौ अंठावन करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन0टी0पी0सी0 को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

राज्य के विद्युत संरचना को तैयार एवं सुदृढ़ करने का कार्य विगत कुछ वर्षों से किया जा रहा है। विद्युत संरचना के सुदृढ़ीकरण के फलस्वरूप राज्य में विद्युत आपूर्ति की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य में कुल विद्युत खपत 13266 एम0यू0 था जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर 24609 एम0यू0 हो गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल विद्युत खपत की मात्रा लगभग 27178 एम0यू0 रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में विद्युत आपूर्ति की मात्रा बढ़कर 29403 एम0यू0 अनुमानित है। वर्षवार विद्युत खपत की मात्रा निम्न तालिका में दृष्टव्य है :–

वर्ष	विद्युत खपत (एम0यू0 में)
2012–13	13266
2013–14	15044
2014–15	18730
2015–16	23325
2016–17	24609
2017–18	27178 (औपबंधिक)
2018–19	29403 (अनुमानित)

2. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012–13 के दौरान ग्रामीण इलाकों में 8–10 घंटे एवं शहरी क्षेत्रों में 16–20 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाती थी। परन्तु, विगत दो वर्षों से राज्य में ग्रामीण उपभोक्ताओं को औसतन 18–20 घंटे एवं शहरी उपभोक्ताओं को 22–24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्युत उपभोक्ता की संख्या भी 37,88,289 (नवम्बर, 2012) से बढ़कर मार्च, 2018 में 1,13,26,643 (औपबंधिक) हो गई है। राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित सात निश्चय के अन्तर्गत मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत् हर–घर बिजली दिसम्बर, 2018 तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके सफल कार्यान्वयन

हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत तक विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर लगभग 1.39 करोड़ हो जायेगी।

3. वित्तीय वर्ष 2016–17 तक वितरण कम्पनियों के अनुमानित वार्षिक व्यय में राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले सब्सिडी की राशि को घटाने के पश्चात शेष राशि के आधार पर आयोग के द्वारा टैरिफ निर्धारित किया जाता था। राज्य सरकार द्वारा दोनों वितरण कम्पनियों को रिसोर्स गैप के तहत् उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि एवं वितरण कम्पनियों को मानक से अधिक ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस के फलस्वरूप होने वाली अनुमानित वित्तीय हानि की भरपाई दी जाने वाली सब्सिडी की राशि को समेकित रूप से दिया जाता था। वर्ष 2013–14 से वर्ष 2016–17 तक रिसोर्स गैप के तहत् वितरण कम्पनियों को दी गई सब्सिडी की राशि निम्न तालिका में दृष्टव्य है:–

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	रिसोर्स गैप के तहत् दी गई कुल राशि
2013–14	2655.60
2014–15	3282.48
2015–16	4900.00*
2016–17	5720.65 **

*509.64 करोड़ रूपये राज्य सरकार के विभागों के लम्बित विद्युत विपत्र के विरूद्ध दी गई राशि सहित।
**1886.65 करोड़ रूपये उदय योजना के तहत् बकाये ऊर्जा विपत्र के भुगतान के लिए निवेश स्वरूप दी गई राशि सहित।

4. गत वितीय वर्ष 2017–18 के प्रभाव से राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के लिए प्रति युनिट विद्युत सब्सिडी के मद में कुल 2952.00 करोड़ रूपये का सब्सिडी पृथक रूप से स्वीकृत किया गया। साथ हीं वितरण कम्पनियों के आयोग द्वारा निर्धारित ए0टी0 एण्ड सी लॉस की अपेक्षा वास्तविक ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस के अधिक होने के कारण हुई वितीय हानि के लिए 1476.00 करोड़ रूपये इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार कुल 4428.00 करोड़ रूपये सब्सिडी एवं इक्विटी स्वरूप वितरण कम्पनियों को उपलब्ध कराये गये।

5. विदित है कि वितरण कम्पनियों के द्वारा अनुमानित वार्षिक व्यय के आधार पर आयोग के समक्ष याचिका दायर की जाती है। वर्ष 2017–18 के पूर्व आयोग द्वारा वितरण कम्पनियों के कुल अनुमानित लागत में राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी की राशि को घटाने के पश्चात् शेष राशि के आधार पर जाँचोपरान्त टैरिफ निर्धारित किया जाता था। परन्तु वर्ष 2017–18 के लिए दोनों वितरण कम्पनियों द्वारा टैरिफ याचिका को शून्य सब्सिडी पर दायर की गई। विदित है कि वर्ष 2017–18 के पूर्व, उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति पर वास्तावित लागत की जानकारी का सर्वथा अभाव बना रहता था तथा राज्य सरकार से दी जा रही सब्सिडी की भी जानकारी नहीं रहती थी। अतः एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017–18 में टैरिफ याचिका को शून्य सब्सिडी पर दायर किया गया। तदनुसार आयोग द्वारा वर्श 2017–18 से टैरिफ का निर्धारण लागत के आधार पर सब्सिडी रहित निर्गत किया जा रहा है। इस नीतिगत निर्णय से वितरण कम्पनियों को Aggregate Technical & Commercial Loss (AT&C Loss) में क्रमिक कमी लाने हेतु गहन अनुश्रवण भी संभव हो पा रहा है। वर्ष 2017–18 से उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत आपूर्ति लागत एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी की राशि विद्युत विपत्र में ही अंकित रहती है जो पूरी तरह से पारदर्शी है।

6. उक्त प्रक्रिया के अनुरूप हीं आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए भी आयोग द्वारा लागत आधारित टैरिफ आदेश निर्गत किया गया है। नये टैरिफ आदेश, जो एक अप्रैल 2018 से लागू है, के द्वारा लगभग 5% की औसत वृद्वि की गयी है। नये टैरिफ आदेश के गहन अध्ययन, उपभोक्ताओं की भुगतान क्षमता एवं पड़ोसी राज्यों, पश्चिम बंगाल वर्ष 2016–17 एवं उत्तर प्रदेश वर्ष 2018–19 के औसत टैरिफ से तुलना कर राज्य सरकार के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में उपभोक्ताओं के लिए दी जाने वाली प्रति यूनिट सब्सिडी की राशि निम्न प्रकार प्रस्तावित है :–

उपभोक्ता श्रेणी	आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ (फिक्सड एव इनर्जी चार्ज सहित) रूपये प्रति यूनिट	प्रति यूनिट सब्सिडी (रू0 में)	सब्सिडी के पश्चात औसत टैरिफ रूपये प्रति यूनिट	पश्चिम बंगाल औसत टैरिफ (2016–17)	उत्तर प्रदेश औसत टैरिफ (2018–19)
कुटीर ज्योति	6.43	3.98	2.45	3.44	3.39
घरेलु–I(ग्रामीण)	6.62	3.45	3.17	4.75	4.25
घरेलु–II (शहरी)	7.23	1.83	5.40	5.02	6.58
गैर घरेलु–I (ग्रामीण)	6.92	2.92	4.00	6.86	5.57
गैर घरेलु–II(शहरी)	8.78	0.53	8.25		9.54
कृषि एवं सिंचाई –I	6.61	5.11	1.50	4.07	2.43
कृषि एवं सिंचाई –II	7.75	0.00	7.75	8.36	9.18
निम्न विभव औद्योगिक सेवा–I (Contract Demand upto 19 KW)	8.60	0.25	8.35	8.39	8.49
निम्न विभव औद्योगिक सेवा–II (Contract Demand above 19 KW upto 74 KW)	8.60	0.28	8.32		
पब्लिक वाटर वर्क्स (Public Water Works)	8.67	0.00	8.67	7.93	9.18
स्ट्रीट लाईट (Street Light)	8.75	0.00	8.75	7.93	8.40
उच्च विभव औद्योगिक सेवा–I (11KV)	8.67	0.00	8.67	10.15	7.82
उच्च विभव औद्योगिक सेवा–II (33KV)	8.60	0.00	8.60	9.15	7.07
उच्च विभव औद्योगिक सेवा–III (132KV)	8.01	0.00	8.01	8.45	6.95
उच्च विभव विशेष सेवा (33/ 11 KV)	5.88	0.10	5.78	NA	7.07
रेलवे (Railway Traction Services (RTS))	7.93	0.00	7.93	8.89	9.34

नोटः बिहार राज्य के टैरिफ वर्ष 2018–19 के लिए एवं अन्य राज्यों (पश्चिम बंगाल वर्ष 2016–17 एवं उ0प्र0 वर्ष 2018–19) पर आधारित है।

पुनरीक्षित सब्सिडी की राशि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार के आदेश निर्गत की तिथि से उपलब्ध करायी जायेगी एवं पिछले वर्ष के लिए निर्धारित सब्सिडी की राशि आदेश निर्गत की तिथि के पूर्व तक लागू रहेगा।

7. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई सब्सिडी की राशि के लिए कुल 4137.00 करोड़ (चार हजार एक सौ सैंतीस करोड़) रूपये सब्सिडी स्वीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 के अप्रैल 2018 से नवम्बर 2018 की अवधि के लिये 344.75 करोड़ (तीन सौ चौवालीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये प्रतिमाह की दर से तत्काल 2758.00 करोड़ (दो हजार सात सौ अंठावन करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन0टी0पी0सी0 को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. स्वीकृत राशि बजट मुख्य शीर्ष "2801–बिजली–उप मुख्य शीर्ष– 80–सामान्य लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता" मांग संख्या 10 उपशीर्ष –0004–बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 विपत्र कोड 10–2801801900004 विषय शीर्ष –33.01 सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय शीर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से एवं शेष प्रथम अनुपूरक से प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा।

9. उक्त राशि एन0टी0पी0सी लि0 को पूर्व की भाँति भुगतान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अलग से प्राधिकृत किया जायेगा, जिसमें 344.75 करोड़ (तीन सौ चौवालीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये प्रतिमाह की दर से कुल 2758.00 करोड़ (दो हजार सात सौ अंठावन करोड़) रूपये में से माह अप्रैल, 2018 के लिए यथाशीघ्र एवं मई 2018 से नवम्बर 2018 तक की अवधि के लिए प्रत्येक माह की 05 तारीख को अथवा अवकाश की स्थिति में इसके ठीक पूर्व कार्य दिवस को राज्य सरकार के खाते को डेबिट कर एन0टी0पी0सी0 लि0 के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सी0ए0जी0 ब्रांच, 11वॉ तल, जवाहर व्यापार भवन, 1, टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली का खाता सं0–10813608669, IFSC Code–SBIN0009996 मे क्रेडिट करने का अनुदेश होगा।

10. उपलब्ध करायी गई अनुदान राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र दोनो वितरण कंपनियों द्वारा प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जायेगा।

11. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र०2/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–I) के पृष्ठ संख्या–106/टि0 पर दिनांक–17.04.2018 को प्राप्त है।

13. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र०2/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–I) के पृष्ठ संख्या–108/टि0 पर दिनांक–19.04.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०2/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–I) /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०2/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–I) 1182 /पटना, दिनांक–24/04/2018

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/अपर महाप्रबंधक–प्रभारी (वाणिज्यिक), एन0टी0पी0सी0–लोकनायक जयप्रकाश भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।